राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

(जी–3 राजमहल रेजीडेन्सीयल एरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर)

क्रमांक:प.8(ग)(78)नियम / डीएलबी / 2024 / 16443 दिनांक: 19/12/24

अधिसूचना

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 51(1) में नगर पालिका की सामान्य साधारण बैठक साठ दिवस के भीतर एक बार होने और एक कलेण्डर वर्ष में न्यूनतम छह बैठके होने के प्रावधान है। मॉडल भवन विनियम 2020 के विनियम 4.3 के बिन्दु (ii)(क) व (ख) में भवन मानचित्र समिति का गठन कर विशिष्ट निर्देश के बिन्दु (i) के तहत कमेटी की बैठक प्रतिमाह दो बार आयोजित किया जाना आवश्यक है। भू–उपयोग परिवर्तन नियम, 2010 के नियम 7 (1) में निकाय स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक प्रति माह आयोजित करने का प्रावधान है।

अतः उपरोक्त प्रावधान अनुसार निम्न प्रकार बैठको का आयोजन किया जावेः–

1.	निकाय में गठित बोर्ड की बैठक	गत बैठक से प्रत्येक दूसरे माह की 20 तारीख (इससे अधिक बैठक रखने के लिए निकाय स्वतंत्र है)
2.	निकाय स्तरीय भवन मानचित्र समिति की बैठक	प्रत्येक माह की 5 व 25 तारीख।
3.	निकाय स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक	प्रत्येक माह की 10 तारीख।

उपरोक्त दिनांक को राजकीय अवकाश होने की स्थिति में उक्त बैठके अगले कार्य दिवस को सम्पादित किया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा उक्त निर्देशों की पालना नही किए जाने पर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(कुमार पाल गौतम)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: प.8(ग)(78)नियम / डीएलबी / 2024 / 16444-17135 दिनांक: 19/12/24

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज0 सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
4. वरिष्ट सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
7. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
8. सभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
9. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय निकाय विभाग समस्त राज0।
10. महापौर / सभापति / अध्यक्ष नगर निगम / परिषद / पालिकाऐं, समस्त राज0।
11. आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम / परिषद / पालिकाऐं, समस्त राज0।
12. अधीक्षक, केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राज0 जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करावें।
13. सुरक्षित पत्रावली।
14. I.T. सेल अपलोड

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी